न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील संख्याः 21/2024
दायर दिनांकः 03.06.2024
निर्णय दिनांक 22.10.2024

—:अनवानः—

रामुलाल लछा बलाई पिता लछा जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द **— अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार/तहसीलदार नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. बालूड़ी पुत्री आसूडी, पत्नि देवीलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुंठवा हाल निवासी शिशोदा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
3. तेजा पिता लच्छा जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
4. खमाणीबाई पत्नि स्वर्गीय पन्ना जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
5. मांगीलाल पुत्र स्वर्गीय पन्ना जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
6. मोहनलाल पुत्र स्वर्गीय पन्ना जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
7. लेहरीलाल पुत्र स्वर्गीय पन्ना जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
8. सोसरबाई पुत्री स्वर्गीय पन्ना जी पत्नि रूपलाल जाति बलाई आयु वयस्क निवासी कुंठवा हाल निवासी बलाई मोहल्ला, शिशोदा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

— रेस्पोंडेन्टगण

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 12.01.83 द्वारा पारित नायब तहसीलदार नाथद्वारा से व्यथित होकर
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :—

1— श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री अनिल बागोरा, राज0अधि0, रेस्पोडेन्ट संख्या 01
3— श्री सुखलाल बैरवा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8

न्यायालय जिला कलक्टर

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कुंठवा पटवार हल्का कुंठवा भु अभिलेख निरीक्षक कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 226 नई व पुरानी 270 में निम्नलिखित कृषि आराजीयात स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा
3357	0.1644
3358	0.3035
3359	0.0253
3360	0.1012
3361	0.0506
3362	0.1265
3363	0.1518
कुल किता 7 कुल रकबा	0.9233

राजस्व ग्राम कुंठवा पटवार हल्का कुंठवा भु अभिलेख निरीक्षक कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 227 नई व पुरानी 269 में निम्नलिखित कृषि आराजीयात स्थित है :–

आराजी संख्या	रकबा
3352	0.0253
कुल किता 1 कुल रकबा	0.0253 आ.चा.

उक्त वर्णित भुमियॉ अपीलांट व रेस्पोण्डेंट संख्या दो के नाना रेस्पोण्डेंट संख्या तीन के पिता एवं रेस्पोण्डेंट संख्या चार के ससुर व रेस्पोण्डेट संख्या पॉच, छह सात आठ के दादा स्वर्गीय लच्छा पिता हिरा बलाई निवासी कुंठवा के नाम एक खातेदारी से दर्ज रही है। आराजी संख्या 3352 रकबा 0.0253 आ.चा. भुमि में अपीलांट के पूर्वाधिकार पिता लच्छा जी का 1/4 हिस्सा रहा है। लच्छा पिता हिरा बलाई का सजरा खानदान निम्न प्रकार है:–

लच्छा पिता हिरा (फौत)

तेजा पुत्र रे. सं. 2	पन्ना पुत्र फौत	रामुलाल पुत्र अपीलान्ट	आसुडी पुत्री फौत बालूडी रे. सं. 1

खमाणीबाई पत्नि रे.सं. 4	मांगीलाल पुत्र रे.सं. 5	मोहनलाल पुत्र रे.सं. 6	लेहरीलाल पुत्र रे.सं. 7	सोसरबाई पुत्री रे.सं. 8

न्यायालय जिला कलक्टर

लच्छा जी के फौत होने के पश्चात् उनके नाम दर्ज उक्त भुमियो का विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरा गया जिसमें लच्छा जी के सभी विधिक वारीसान का नाम अंकित नहीं किया अर्थात अपीलांट रामुलाल लछा का नाम अंकित नहीं कर रेस्पोण्डेट संख्या तीन व दो व चार से लगायत आठ के पूर्वाधिकारी पन्ना का नाम अंकित कर दिया व चौथे वारीसान के रूप में रामुलाल लछा की बजाय रोडिया नाम अंकित कर दिया गया जबकि रोडिया नाम का कोई पुत्र लछा के कभी नहीं हुआ है। उपरोक्तानुसार नामान्तरकरण भरकर तस्दीक हेतु अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमकसूद तरीके से मृतक लच्छा पिता के सही एवं सभी विधक वारीसान उत्तराधिकारियो की जाँच किये बिना ही पटवारी द्वारा भरे गये नामान्तरकरण को ही आधार मान कर नामान्तरकरण दिनांक 12.01.1983 को तस्दीक कर फैसल कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं रही है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा बिना अपीलान्ट को सुने व बिना लच्छा के सही वारिसान की जानकारी किये ही नामान्तकरण तस्दीक कर फैसल कर दिया। जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट नौकरी के सिलसिले में बाहर मुम्बई रहता था और लच्छा की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट यही समझता रहा कि लच्छा की मृत्यु के पश्चात् उनके नाम अंकित भूमि का उनके चारो वारीसान अपीलांट, रेस्पोण्डेंट संख्या दो की पूर्वाधिकारी आसूडी व रेस्पोण्डेंट संख्या तीन व रेस्पोण्डेंट संख्या चार से लगायत आठ के पूर्वाधिकारी पन्ना के नाम अंकित कर दी होगी लेकिन पटवारी हल्का ने जो नामान्तरकरण भरा उसमें लच्छा जी के विधिक वारीसान में अन्य तीन वारीसान के अलावा अपीलांट का नाम अंकित नहीं करते हुऐ अपीलांट के बजाय किसी रोडिया नामक व्यक्ति का नाम अंकित कर दिया जबकि रोडिया नाम का कोई पुत्र लच्छा जी के नहीं हुआ है न है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लच्छा जी के समस्त विधिक वारीसान की बिना सही रूप से जॉच किये ही अपने मनमकसूद तरीके से अपीलांट अन्य वारीसान के साथ अपीलांट का नाम अंकित किये बिना अपीलांट की बजाय रोडिया नाम अंकित कर दिया जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रोडा नाम अंकित है जबकि रोडा नाम का कोई व्यक्ति लच्छा जी का विधिक वारीसान उत्तराधिकारी नहीं है। लच्छा जी की उक्त भुमियो में जो रोडा का नाम अंकित है उसे हटाया जाकर उसकी बजाय अपीलांट का नाम अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का नाम अंकित नहीं कर अपीलांट की बजाय रोडा का नाम अंकित कर नामान्तरकरण फैसल करने में अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने भारी विधिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया उक्त नानान्तकरण अवैद्य है जिसे निरस्त किया जाना जाना आवश्यक है जिसके लिए यह अपील प्रस्तुत है। अपीलांट नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है और अपीलांट को उक्त नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अभी मई माह के प्रथम सप्ताह में अपीलांट को राजस्व नकलो की आवश्यकता होने पर उसने नकल प्राप्त की तो उसे जानकारी में आया कि राजस्व रेकार्ड में उसका नाम अंकित नहीं होकर उसकी बजाय लच्छा के वारिस के रूप में रोडा का नाम अंकित है जिस पर उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 09.05.2024 को प्राप्त हुई तब जाकर अपीलांट्स को इसकी पूरी जानकारी हुई। इसके पश्चात् अपीलांट्स ने अधिवक्ता से मिलकर अपील तैयार करवाई और आज बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है। इससे पूर्व जो भी विलम्ब हुआ है वह जानकारी के अभाव में हुआ है फिर भी कानूनी अडचनो के निवारण हेतु उक्त जानकारी के अभाव में हुऐ विलम्ब को कण्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

न्यायालय जिला कलक्टर

नामान्तरकरण आदेश को अपास्त फरमाया जाकर कुलिया वर्णित भुमियो में से रोडा पुत्र लच्छा का नाम हटाया जाकर उसके नाम दर्ज भुमि को उसकी बजाय अपीलांट रामुलाल लच्छा के नाम पर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिती दी तथा शेष रेस्पोडेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुखलाल बैरवा द्वारा उपस्थिती दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि बिन्दु संख्या 1 से 2 के वादी के नाम दर्ज भूमियो का उल्लेख है तथा बिन्दु संख्या 3 जॉच भू0अ0नि0 शिशोद की रिपोर्ट के अनुसार लच्छा पिता हिरा की मृत्यु के पश्चात् उनके वारीसान निम्नानुसार पाये गए।

तेजा(पुत्र)	पन्ना(पुत्र)	फौत	रामुलाल(पुत्र)	आसुडी(पुत्री)फौत	नानी(पुत्री)	पत्नि(फौत)
				बालुडी(पुत्री)		

खमाणीबाई पत्नि	मांगीलाल पुत्र	मोहनलाल पुत्र	लेहरीलाल पुत्र	सोसरबाई पुत्री

तथा बिन्दु संख्या 4 अनुसार दिनांक 05.01.1983 को पटवारी हल्का कुंठवा, द्वारा नामान्तरण संख्या 532 दर्ज विरासत से लच्छा पिता हिरा के बजाय तेजा, पन्ना, रोडिया आसुडी पिता लच्छा के नाम दर्ज रिकोर्ड जो निवर्तमान पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं जांच भू0अ0नि0 शिशोदा से होकर राजस्व अधिकारी से प्रमाणित है प्रार्थी अपने नाम के संबंध में गलत दर्ज होना बताया है जो भू0अ0नि0 शिशोदा की रिपोर्ट में दर्ज है। शेष रेस्पोडेन्टगण की ओर अधिवक्ता श्री सुखलाल बैरवा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। कि अपील की कलम संख्या एक से 6 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। तथा अपील की कलम संख्या 7 में वर्णित तथ्य के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है अपील की कलम संख्या 8 में वर्णित तथ्य कानूनी है अपील की कलम 7 (लिखे अनुसार) में वर्णित तथ्य कानूनी है। अपील मेमो की कलम संख्या आठ (लिखे अनुसार) में वर्णित तथ्य स्वीकार है। अपील मेमो की कलम संख्या नो (लिखे अनुसार) में वर्णित तथ्य स्वीकार है। शेष अपीलार्थी की प्रार्थना है, जो स्वीकार है अतः उक्त मामले अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडेन्ट संख्या दो से आठ को कोई आपति नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में अपील मेमो वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात के संबंध में लच्छा जी के फौत होने के पश्चात् उनके नाम दर्ज उक्त भूमियों का विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरा गया जिसमें लच्छा जी के सभी विधिक वारीसान का नाम अंकित नहीं तथा अपीलान्ट रामुलाल लच्छा का नाम अंकित नहीं कर रामुलाल लछा की बजाय रोडिया नाम अंकित कर दिया गया जबकि रोडिया नाम का कोई पुत्र लच्छा के कभी नहीं हुआ है नामान्तरकरण भरकर तस्दीक हेतु अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमकसूद तरीके से मृतक लच्छा के सभी विधिक वारिसान उत्तराधिकारियों की जॉच किये बिना ही पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरकरण को ही आधार मान कर नामान्तकरण दिनांक 12.01.1983 को तस्दीक कर

न्यायालय जिला कलक्टर

फैसल कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सुने व बिना लच्छा के सही वारिसान जानकारी किये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक कर फैसल कर दिया गया। जो कानुनन गलत हैं। अतः निवेदन है कि अपील अलीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश को अपास्त फरमाया जाकर कुलिया वर्णित भूमियों में से रोड पुत्र लच्छा का नाम हटाया जाकर उसके नाम दर्ज भुमि को उसकी बजाय अपीलान्ट रामुलाल लच्छा के नाम पर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि पटवारी हल्का कुंठवा की मौका स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित भूमियों में से रोडा पुत्र लच्छा का नाम हटाया जाकर उसकी बजाय अपीलान्ट रामुलाल पुत्र लच्छा के नाम पर दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश को अपास्त किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 ने बहस मे निवेदन किया है कि उक्त वर्णित भूमियों में से रोडा पुत्र लच्छा का नाम हटाया जाकर अपीलान्ट रामुलाल पुत्र लच्छा के नाम पर दर्ज करने पर हमें कोई आपत्ति नही है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि तात्कालिक पटवारी द्वारा प्रकराणाधीन भूमियों के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण की कार्यवाही कर तहसीलदार नाथद्वारा से आक्षेपित नामान्तरण खोला गया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण में स्व0 लच्छा के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से नियमानुसार सभी वारिसान के नाम पर नामान्तरण आदेश पारित करने का निर्णय दिया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 532 दिनांक 12.01.1983 को अपास्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, नाथद्वारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता हैं कि मृतक लच्छा के समस्त विधिक वारिसान की पुनः जांच की जावे एवं नये सिरे से सभी वारिसान के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

22/10/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/10/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)